शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444/2016–17/17 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2017

विषय : **उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–रा0स्वा0बी0यो0/पत्रा–444/2016–17/42 दिनांक 12 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी/फैमली पेंशन धारक) तथा उनके आश्रितों (जैसाकि नियमावली–2011 में बिन्दु संख्या–3(ख) में वर्णित है) को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों के इलाज हेतु अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में यह अनुरोध किया गया था कि अपने विभाग के समस्त डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 का वेबसाइट–www.uphealth.up.nic.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरते हुए योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये तथा सभी पंजीकृत डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों/पेंशनधारकों के आवेदन पत्र सत्यापित करते हुए "स्टेट हेल्थ कार्ड" उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में यह अवगत कराना है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु नई वेबसाइट–**www.upsects.in** प्रारम्भ कर दी गयी है, जिस पर योजना से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 दिसम्बर, 2016–उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 उपलब्ध है। इसके साथ ही वेबसाइट पर योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण बिन्दु तथा लक्षित लाभार्थियों को स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया का बिन्दुवार उल्लेख है।

योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दिनांक 01 मई, 2017 से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि उक्त तिथि से पूर्व सभी लक्षित लाभार्थियों को स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध हो जाये। इस कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु वेबसाइट के "होमपेज" पर "DDO Registration" एवं "Employee Gateway" लिंक पर उपलब्ध आवेदन पत्रों के प्रारूप एवं दिशा–निर्देश के अनुसार सभी विभागों के DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तथा राज्य कर्मचारियों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसी प्रकार सभी जनपदों के STO (वरिष्ठ कोषाधिकारी) तथा पेंशनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी/फैमली पेंशनधारक) का पंजीकरण समयान्तर्गत अनिवार्य है। डी0डी0ओ0 एवं कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रक्रिया का बिन्दुवार विवरण इस पत्र के साथ आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग के समस्त डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 तथा राज्य कर्मचारियों/पेंशन धारकों के पंजीकरण की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए समयान्तर्गत सभी लक्षित लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही निम्नलिखित प्रारूप पर पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट ई–मेल आई0डी0 **upsects@gmail.com** पर उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें :–

State Employees Cashless Treatment Scheme (SECTS) - Achivements for the fortnight ending 2017							
विभाग का नाम :							
डी0डी0ओ0 की कुल संख्या	योजनान्तर्गत पंजीकृत डी0डी0ओ0 की कुल संख्या	पंजीकरण हेतु अवशेष डी0डी0ओ0 की संख्या (1–2)	विभाग के अधीन राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित आवेदनों की कुल संख्या	अवशेष आवेदनों की कुल संख्या (5–6)	ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है।
01	02	03	04	05	06	07	08

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

संलग्नकः यथोपरि।

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक : एस0ई0सी0टी0एस0/पत्रा–444/2016–17/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक कोषागार, 10वाँ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारियों के माध्यम से समस्त पेंशनधारकों का पंजीकरण कराने हेतु समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट ई–मेल आई0डी0 **upsects@gmail.com** पर प्रेषित करें।
2. विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–06, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–06, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव